



JHARKHAND UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

(Science and Technology Campus)

Sirkha Toli, Namkum, Ranchi- 834010 (Jharkhand)

(Website- www.jutranchi.ac.in : Email Id-jut.academicsection@gmail.com)

पत्रांक:- **JUT-140/2024/Affiliation/1243**

/ राँची, दिनांक:- **15/10/2024**

प्रेषक,

कुलसचिव (प्र०)
झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
नामकुम, राँची।

सेवा में,

The Director/Principal,
Guru Gobind Singh Educational Society's Technical Campus,
Kandra (V), Chas, Bokaro-827013 (Jharkhand)

विषय:- शैक्षणिक वर्ष 2024-25 हेतु संस्थान में संचालित तीन वर्षीय डिप्लोमा अभियंत्रण पाठ्यक्रम के औपबंधिक संबद्धता प्रदान किये जाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि AICTE, New Delhi से शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए डिप्लोमा अभियंत्रण पाठ्यक्रम हेतु संस्थान को प्राप्त EoA/LoA तथा विश्वविद्यालय के संबद्धन समिति की अनुशंसा, Academic Council के दिनांक - 10.09.2024 को सम्पन्न 18वीं बैठक के Agenda संख्या - 18.3 (x) पर सम्मिलित संस्थानों के शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में संचालित विभिन्न कोर्स के नव संबद्धन/संबद्धन दीर्घीकरण के प्रस्ताव पर प्राप्त अनुमोदन एवं दिनांक - 23/09/2024 को कार्यकारी परिषद् के 22वीं बैठक में प्रदत्त स्वीकृति के आलोक में आपके संस्थान के तीन वर्षीय डिप्लोमा अभियंत्रण पाठ्यक्रम (AICTE, New Delhi द्वारा निर्गत EoA/LoA संबंधित पत्र में अंकित शाखाओं के लिए निर्धारित सीटों की संख्या अनुसार) को निम्न शर्तों के अधीन औपबंधिक नव संबद्धन/संबद्धन दीर्घीकरण प्रदान किया जाता है:-

- राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नामांकन प्रक्रिया का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।
- AICTE/UGC/ राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी छात्र शिक्षक अनुपात, चयन एवं नियुक्ति प्रक्रिया का पालन करना एवं निर्धारित अर्हता अनुसार शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों की नियुक्ति सुनिश्चित करना आवश्यक होगा।
- राज्य सरकार द्वारा निर्धारित एवं अनुमोदित नामांकन शुल्क आदि Digitally प्राप्त किये जायेंगे।
- विश्वविद्यालय द्वारा तैयार नये Syllabus को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रयोगशाला/कर्मशाला में सभी आवश्यक मशीन उपकरण, सोफ्टवेयर एवं अन्य सुविधायें उपलब्ध होनी चाहिए।
- पाठ्यक्रम संचालन हेतु AICTE द्वारा निर्धारित मानक (Norms) अनुसार आवश्यक Infrastructure तथा Facilities में जो भी त्रुटि/कमियाँ है, उसे हर हाल में तीन से छः माह के भीतर पूर्ण कर लिया जाय।
- AICTE के APH - 2024-25 में अंकित संस्थान स्तर पर गठित होने वाले सभी प्रकार के समिति/बोर्ड/स्क्वायड आदि के गठन संबंधित पत्रों को संस्थान के Website पर डाला जाय एवं इसे समय-समय पर Update किया जाय।
- विगत वर्ष का ऑडिट रिपोर्ट संस्थान के Website पर रखा जाय। पुस्तकालय/प्रयोगशाला/कर्मशाला के मशीन उपकरण के क्रय, शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मी आदि के भुगतान, संस्थान के भवन एवं परिसर के विकास एवं रख-रखाव आदि पर किये गये गत वर्ष के व्यय का सरांश तथा उससे संबंधित सभी प्रकार का अभिलेख संस्थान स्तर पर संधारित किया जायेगा ताकि उसे माँगे जाने पर तत्क्षण संस्थान द्वारा प्रस्तुत किया जा सके।

क०प०उ०.....

विश्वविद्यालय की टीम आवश्यकतानुसार किसी भी समय उपरोक्त शर्तों के अनुपालन का शकलन करने हेतु संस्थान का औचक निरीक्षण कर सकती है। प्रतिकूल निरीक्षण प्रतिवेदन की स्थिति में विश्वविद्यालय अपने प्रदत्त औपबंधिक नव संबद्धन/संबद्धन दीर्घीकरण पर पुर्नविचार कर समुचित निर्णय ले सकता है।

अनुरोध है कि संबद्धता शुल्क राशि रू० - 1,00,000/- (एक लाख रूपये मात्र) प्रति Programme के अनुरूप डिमान्ड ड्राफ्ट Payable at Ranchi के नाम से पत्र निर्गत के 10 दिनों के भीतर उपलब्ध कराया जाय।

Nishant Kumar
15/10/2024

कुलसचिव (प्र०),

झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
नामकुम, राँची।

15/10/24